



सत्यमेव जयते

प० सं० 12A/806/125/आ.सं.न

/निबन्धन/तक०/कानपुर/06-07/861

दिनांक 19/06/07...२००

भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त - II

१५/२६५ - ए, सिविल लाइन्स, कानपुर

विषय :- आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क में निबन्धन हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवेलपमेंट.....

सीतापुर, चित्रकूट, पिन-६११००५.....

दिनांक 11.12.2006.....

को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समय के भीतर दिया है। इस लिए निबन्धन आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा १२-क के आवेदन रजिस्टर में क्रम संख्या 125

पर की गई है।

अभिषेक मिश्रा

19.6.07

(अभिषेक मिश्रा)

आयकर आयुक्त - II
कानपुर



प्रतिलिपि प्रेषित :-

- न्यास/संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवेलपमेंट, सीतापुर, चित्रकूट, पिन-६११००५ (3.9)-210204 को कृपया यह बतायें कि न्यास/संस्था आयकरदाता की सूची में है? यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण के साथ स्याई लेखा संख्या भी बतायें।
- आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त, वार्ड/सर्किल-6(5) की..... को इस आशय के साथ कि न्यास/संस्था से लेखा विवरण, संगठन के विलेख/स्मृति-पत्र की प्रति आदि आवश्यक कार्यवाही के लिए संलग्न है।
- आयकर उपायुक्त रेंज 6..... / कानपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सी. सी. शर्मा)

स० आयकर आयुक्त, कानपुर, अधिकारी (तक०)
कानपुर, आयुक्त (तक०) II, कानपुर



प० सं०

131/331/क०मु०/तक०/कानपुर

सत्यमेव जयते

दिनांक 19/06/07...२००

भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त - II

१५/२६५ - ए, सिविल लाइन्स, कानपुर

सेवा में,

इंस्टीट्यूट ऑफ लीजल डेवेलपमेंटलीतापुर, चित्रकूट, प्लॉट-चित्रकूट (३९)-२।०२०५**विषय :- आयकर अधिनियम १९६१ की धारा २०-जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण-पत्र**

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11/12/2006 की आपकी याचिका के सुन्दर में आपको सूचित किया जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीजल डेवेलपमेंट, लीतापुर, चित्रकूट, प्लॉट-चित्रकूट (३९)-२।०२०५ (न्यास/संस्था का नाम एवं पता)

को दिया संघन आयकर अधिनियम १९६१ की धारा २०-जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्ति के लिये दिनांक 11/12/2006 से 31/03/2007 तक की अवधि के लिए वैध है।



नोट :-

- दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिये और स्पष्ट रूप से यह भी लिखे कि यह प्रमाण-पत्र केवल दिनांक 11/12/2006 से 31/03/2007 तक की अवधि के लिये वैध है।
- प्राप्तियों और खर्चों के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी के पास अवश्य प्रस्तुत करें।
- यदि इस कर मुक्ति के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करवाना हो तो अपने निर्धारण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन निर्धारित फार्म १०-जी में भरकर संलग्न सहित ३ प्रतियों में प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ वार्षिक प्राप्तियों और खर्चों का पूर्ण विवरण और यदि नियमों या विनियमों में कोई परिवर्तन/संशोधन किए गये हों तो उसकी सूचना भी अवश्य संलग्न करें।

सम संख्या और दिनांक 12-57-49, 06-07

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- आयकर अधिकारी/सहायक-आयकर-अमुक्त/बार्ड/सर्किल (कानपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस कर मुक्ति के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए यदि कोई अनुवर्ती आवेदन उन्हें प्राप्त हो तो उसे अपनी रिपोर्ट सहित अपने आयकर उपायुक्त के माध्यम से आवेदन पाने के १५ दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
- आयका उपायुक्त रेंज (कानपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जी.जी. शर्मा)
स० आयकर आयुक्त/आयकर अधिकारी (तक०)
क० - आयकर आयुक्त II, कानपुर



सत्यमेव जयते

प० सं० ४०५/११७/क०मु०/तक०/कानपुर/१७५७

दिनांक २०-०४-२००९

भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त - II

१५/२६५ - ए, सिविल लाइन्स, कानपुर

सेवा में,

इंस्टीट्यूट आफ सोशल डेवलपमेन्ट

सीतापुर, चित्रकूट, जिला-चित्रकूट (उ०प्र०)-२१०२०४

विषय :- आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८०-जी के अधीन कर

मुक्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त II, कानपुर ने अपने दिनांक 19.06.2007 के आदेश संख्या पं० सं० आ.आ.११/क०मु०/तक०/कानपुर/४६२ के द्वारा दिनांक 11.12.2006 से दिनांक 21.03.2009 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८०-जी के अन्तर्गत कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र दिया था। अब उक्त प्रमाण-पत्र द्वारा धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 31.03.2011 तक के लिए एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर नवीनीकरण किया जाता है।

- आदेश संख्या पं० सं० आ.आ.११/क०मु०/तक०/कानपुर/४६२ दिनांक 19.06.2007 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
- संस्था/न्यास के उद्देश्यों, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाये।

सील



(कविता झा)
आयकर आयुक्त - II, कानपुर
(कविता झा)

सम संख्या एवं दिनांक २०-०४-२००९

१. आयकर अधिकारी/स० आ० जा० वाई-६ (५) बाँदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।

२. आयुक्त उम्मुक्त रजे - ६, कानपुर / कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(मोहम्मद हुसेन)

स० आयकर आयुक्त/आयकर अधिकारी (तक०)
कृते - आयकर आयुक्त II, कानपुर

कानपुर